

## राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गुल्ली बनाम नारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>08/04/2026</p> <p>13/04/2026</p>	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई   अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित   अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी   पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/04/2026 को पेश हो।</p> <p>आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई   संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30/06/2015 पारित करते हुये तहसीलदार कोटखावदा को वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम जगदीशपुरा, तहसील कोटखावदा, जयपुर का विभाजन बाय मीट्स एण्ड बाउन्ड्स .. आधार पर तकासमा करने हेतु तहसीलदार कोटखावदा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर दोनों पक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये   जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 15/05/2017 पारित कर दिया गया   जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम के साथ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है   जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी  </p> <p>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया   प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम के सम्बन्ध में उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है   गुणावगुण पर उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से सहखेदार/पक्षकारान के मध्य किया गया विभाजन न्यायसंगत प्रतीत होता है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नहीं होती है   ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित्त प्रतीत नहीं होता है  </p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15/05/2017 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है  </p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो  </p> <p>निर्णय आज दिनांक 13/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p>	